

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2018/382

दिनांक 4.6.18

-: आदेश :-

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से वर्ष 2013-14 से 2015-16 में चयनित है, को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ. ()/डीओपी/ए-II/86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को एक वर्ष का परीविक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की रनिंग पे बेण्ड 15600-39100 में ग्रेड पे 5400/- स्वीकृत की जाती है :-

क्र. स.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	चि. अ. के पद पर परीविक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	नियमित वेतन श्रृंखला देय तिथि
1	डॉ. साती रानी	15.05.1988	02.06.2016	01.06.2017	02.06.2017
2	डॉ. हेमलता यादव	07.01.1992	08.07.2016	11.08.2017 (65 EOL)	12.08.2017
3	डॉ. शिव दयाल शर्मा	08.02.1989	03.06.2016	02.06.2017	03.06.2017
4	डॉ. राहुल	18.11.1992	02.06.2016	01.06.2017	02.06.2017
5	डॉ. प्रहलाद सिंह गढवाल	17.06.1990	02.06.2016	01.06.2017	02.06.2017
6	डॉ. रेखा	29.10.1990	02.06.2016 A/N	02.06.2017	03.06.2017
7	डॉ. रामनिवास चौधरी	20.06.1991	02.06.2016	01.06.2017	02.06.2017
8	डॉ. भरत मालु	06.01.1991	30.07.2016	29.07.2017	30.07.2017
9	डॉ. सुमन	03.07.1987	04.11.2016	03.11.2017	04.11.2017
10	डॉ. उमेश कुमार शर्मा	05.09.1984	03.06.2016	02.06.2017	03.06.2017
11	डॉ. रोहित पहाडिया	27.07.1990	14.03.2017	13.03.2018	14.03.2018
12	डॉ. पंकज कुमार शर्मा	06.07.1988	03.06.2016	02.06.2017	03.06.2017
13	डॉ. दिलीप सिंह	10.03.1983	29.06.2016	28.06.2017	29.06.2017
14	डॉ. अर्चना समाधिया	01.07.1987	03.06.2016	06.06.2017 (34 EOL)	07.06.2017
15	डॉ. बत्ती लाल मीणा	27.07.1982	09.07.2012	08.07.2013	09.07.2013
16	डॉ. ईवा अरविन्द	26.05.1988	26.03.2015	25.03.2016	26.03.2016

4.6.18

8

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2018/382

दिनांक 4.6.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करे।
5. प्रमारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
6. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Ay SLD

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर